# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 : 130/2018**

**अनवान :**

1. कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

**– वादी**

**बनाम**

1. धनपत पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
3. बीरबलराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
4. मायावती पत्नी पालाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
5. राजेश कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
6. बालाकुमारी पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
7. तारादेवी पुत्री मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
8. बाधोदेवी पुत्री मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
9. महेन्द्र देवी पुत्री मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
10. मनजीत पुत्र तीजोदेवी पुत्री मामचन्द पत्नी इन्द्राज जाति निवासी हाल चुबकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
11. जगदीश पुत्र तीजादेवी पुत्री मामचन्द पत्नी इन्द्राज जाति निवासी हाल चुबकियागढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत इस्तकरार हक रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.**

**उपस्थिति :** वकील श्री जयकिशन **: वादी**

वकील श्री राममूर्ति**: प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 20.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 83/76 के खसरा सं. 130 की 2.390 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 72/68 के खसरा सं. 117 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 121 की 2.112 हैक्टर, खसरा सं. 131 की 8.473 हैक्टर, खसरा सं. 131/252 की 4.920 हैक्टर, खसरा सं. 151 की 4.072 हैक्टर कुल 22.334 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वादी के पिता के देहान्त पर वादी के पिता मामचन्द के नाम दर्ज भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 4/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6

सहायक कलक्टर

को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 को संयुक्त रूप से 3/9 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा के रूप में विरासतन में प्राप्त हो गई थी।

वादी के पिता के देहान्त होने पर उनके बाहरवें की रश्म पर ही वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 इक्कठे हुये थे एवं उनमें वारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिंस्सा शून्य कर लिया था जिस पर उक्त वादभूमि जो वादी के पिता मामचन्द के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 4 तथा 5 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा के रूप में प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादभूमि पर कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादभूमि वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हक एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति में वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 83/76 के खसरा सं. 130 की 2.390 हैक्टर बारानी खातेदारी में स्व. मामचन्द के नाम से दर्ज 140 हिस्सा व रोही राखी के खाता संख्या 72/68 के खसरा सं. 117 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 121 की 2.112 हैक्टर, खसरा सं. 131 की 8.473 हैक्टर, खसरा सं. 131/252 की 4.920 हैक्टर, खसरा सं.151 की 4.072 हैक्टर, कुल 22.334 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि जो वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 का कोई हक हिस्सा नही है। बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदनुसार दुरूस्त किया जावे।

वादभूमि में वादी ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी सं0 11 इकबालदावा पेश किया, तथा प्रतिवादी सं. 12 को वकील वादी ने तर्क किया गया। बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्यवादी में कृष्णलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी रोही मोजा राखी सम्वत 2071—75 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी रोही मोजा राखी सम्वत 2071—75 खाता सं. 72/68 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 3, कुर्सीनामा ग्राम पंचायत तांबाखेड़ी प्रदर्श 4, मृत्यु प्रमाण मामचंद ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 5ए, मृत्यु प्रमाण मामचन्द ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 6ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतिलिपि जीवणी ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 7ए प्रदर्शित करवाये।

कलक्टर

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 83/76 के खसरा सं. 130 की 2.390 हैक्टर बारानी खातेदारी में स्व. मामचन्द के नाम से दर्ज 140 हिस्सा व रोही राखी के खाता संख्या 72/68 के खसरा सं. 117 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 121 की 2.112 हैक्टर, खसरा सं. 131 की 8.473 हैक्टर, खसरा सं. 131/252 की 4.920 हैक्टर, खसरा सं.151 की 4.072 हैक्टर, कुल 22.334 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि जो वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 का कोई हक हिस्सा नही है। इसी अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 83/76 के खसरा सं. 130 की 2.390 हैक्टर बारानी खातेदारी में वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व रोही मोजा राखी के वर्तमान खाता संख्या 72/68 के खसरा सं. 117 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 121 की 2.112 हैक्टर, खसरा सं. 131 की 8.473 हैक्टर, खसरा सं. 131/252 की 4.920 हैक्टर, खसरा सं. 151 की 4.072 हैक्टर कुल 22.334 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता स्व. मामचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में अभिधारियों को उतराधिकार का विधिक प्रावधान किया गया है व राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 में उतराधिकार तथा कब्जे के अन्तरण की सूचना व धारा 135 में सूचना मिलने पर प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकरण में प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार न्यायालय तहसीलदार भादरा का है क्योंकि प्रकरण विरासतन उतराधिकार व हक त्याग से सम्बन्धित है जिसका अनुतोष न्यायालय तहसीलदार भादरा देने में सक्षम है, इसलिए उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 28.8.18 को न्यायालय तहसीलदार भादरा के समक्ष उपस्थित होवें।

पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुए निर्णय पारित करे। प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 द्वारा हक त्याग किये गये हिस्सा पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क वसूल कर ही रिकार्ड में तदनुरूप इन्द्राजात करें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार कुस्वा)
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़